

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक 831/स्था./प्रशा./2004

बिलासपुर, दिनांक 30.10.2004

आदेश

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2002 की धारा 49 के प्रावधानानुसार गठित चयन समिति की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की आपातिक बैठक दिनांक 06.08.2004, विषय क्रमांक-04 के निर्णयानुसार श्री प्रदीप कुमार सामल की नियुक्ति निम्न शर्तों पर विश्वविद्यालय की स्ववित्तीय योजनांतर्गत संचालित भैषजिक विभाग में व्याख्याता, भैषजिक के पद पर वेतनमान रूपये 8000-275-13500/-, में दो वर्ष की परिवीक्षा पर (जो विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत बने परिनियम के अनुसार आगे बढ़ाई जा सकती है) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जाती है।

कार्यभार ग्रहण की अवधि के लिये वेतन/यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जावेगा। वेतनमान के साथ समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते एवं लाभ देय होंगे।

यदि परिवीक्षावधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया अथवा विश्वविद्यालय को उनकी सेवाओं की आवश्यकता न हो तो एक माह की पूर्व सूचना या एक माह का वेतन देकर सेवा से पृथक किया जा सकता है।

इनकी सेवायें चालचलन संबंधी जॉच उपयुक्त एवं अच्छा पाये जाने पर ही वैध होगी।

दिनांक 17 नवम्बर, 2004 तक पद का कार्यभार ग्रहण किया जाना चाहिये, अन्यथा नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी। सेवा शर्ते विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत परिनियम 31 एवं अध्यादेश-4 के अंतर्गत संचालित होगी।

विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय टिक्कित रूप से सूचित करना होगा कि उपर्युक्त सभी शर्ते मान्य हैं।

उपर्युक्त शर्तों में किसी प्रकार की कोई शिथिलता प्रदान नहीं की जावेगी। वेतन एवं अन्य शर्ते उपर्युक्तानुसार होगी, अन्य शर्त मान्य नहीं होगी।

नियुक्ति पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय योजनांतर्गत संचालित भैषजिक विभाग के स्थापना मद में विकलनीय होगा।

कार्यपरिषद के आदेशानुसार

कुलसूचिव
30. X. 04

बिलासपुर, दिनांक 30.10.2004

पृ.क्रमांक. 832/स्था./प्रशा./2004

प्रतिलिपि :-

01. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, सचिवन, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
02. कुलपति/कुलसूचिव के सचिव/निज सहायक को कुलपति जी/कुलसूचिव जी के अदलोकनार्थ सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान सायोग, नई दिल्ली।
03. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)।
04. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)।
05. आयुक्त, उच्च शिक्षा, महाविद्यालयीन शिक्षा एवं प्रशासन प्रकार्ता, विज्ञान महाविद्यालय परिसर, छ.ग.शासन, रायपुर (छ.ग.)।
06. विभागाध्यक्ष, भैषजिक विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
07. वित्ताधिकारी/ सहायक संचालक, स्थानीय विधि संपरीक्षा, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
08. श्री प्रदीप कुमार सामल लो इस निर्देश के संधि कि वे दिनांक 17 नवम्बर, 2004 तक आवश्यक रूप ऐ कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करा अन्य नियमानुसार स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण पत्र, आयु, पात्रता तथा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की समस्त परिवृद्धियों की सत्यापित प्रतियों भी कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
09. निजी नस्ती।

उपकुलसूचिव (प्रशा./स्था.) १० X. 04